न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 104/2023

उनवान

1. सुमन देवी पत्नी देवीशंकर झंवर जाति माहेश्वरी निवासी 1178 सुभाषगंज, नसीराबाद, अजमेर।

—— प्रार्थीया :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाराशर

बनाम

1. रूपा पुत्र भोमा जाति रावत निवासी देराठू तहसील नसीराबाद,
2. भागचन्द माहेश्वरी पुत्र भगवती प्रसाद जाति माहेश्वरी निवासी मकान नम्बर 1174 सुभाषगंज नसीराबाद,
3. राकेश पुत्र बाबुलाल जाति मोची निवासी मोची बाजार नसीराबाद,
4. छलका पुत्री लाला,
5. छोटी पत्नी लाला,
6. बाबुलाल पुत्र धन्ना,
7. महावीर पुत्र लाला,
8. रंगलाल पुत्र बालूसिंह,
9. सुगनी पुत्री लाला,
10. हनुमान पुत्र लाला,
11. हरि पुत्र धन्ना,
12. ओमप्रकाश पुत्र किशन,
13 कमला पुत्री बाबुलाल,
14. कानसिंह पुत्र किशन,
15. ग्यारसीलाल पुत्र रामा,
16. गोपाल पुत्र शंकर,
17. छोटी पुत्री रतन,
18. जानवी पुत्री बाबुलाल,
19. दशरथ पुत्र किशन,
20. नीला,
21. पुजा
22. पिंकी पुत्री बाबुलाल,
23. भागचन्द पुत्र रामा,
24. भोली पत्नी बाबुलाल,
25. मथरा सिंह पुत्र रतन,
26. मुन्ना पुत्र शंकर,
27. मैना पुत्री बाबुलाल,
28. मीरा पुत्री रतन,

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

29. मोना पुत्री बाबुलाल,
30. रूकमणी पुत्री रामा,
31. लालीदेवी पत्नी नारूलाल,
32. विजय पुत्र रामा,
33. शारदा पत्नि किशन,
34. शारदा नाबा0 पुत्री शंकर,
35. शिवराज पुत्र बाबुलाल,
36. सुगन पुत्र रामा,
37. संजु पुत्री किशन,
38. सजना पत्नी रामा,
39. सेठा पत्नि शंकर, समस्त जातिगण रावत निवासीगण देराठू तहसील नसीराबाद,
40.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :– 1 से 39 अनुपस्थित
40 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 22.12.23

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.01 व 17 रकबा 0.19 की आराजी जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्ता की खातेदारी है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को दिनांक 08.05.23 को आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.05.23 को मौके पर सीमाज्ञान कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये। किन्तु सीमाज्ञान के बाद अप्रार्थीगण ने मौके पर विवाद उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में व्यवधान कर रहे है। उक्त आराजी की पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी के विकास कार्य करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 39 बावजुद तामीली उपस्थित नही होने से विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की प्रार्थीया अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 12.05.23 को [illegible] का सीमाज्ञान करवाया गया। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा मोके पर वि[illegible] बताया गया है। प्राथीया का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य मौके पर विवाद है [illegible] करने से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी [illegible] विवाद समाप्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकर ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद के आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 0.01 व 17 रकबा 0.19 पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:22 IST
Reason: SelfAttested